



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 36]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 4 सितम्बर 2015-भाद्र 13, शके 1937

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड,

(म. प्र. शासन का उपक्रम)

मुख्य अभियंता (योजना एवं रूपांकन)

ब्लाक नं. 2, शक्ति भवन, रामपुर, जबलपुर (म. प्र.) 482008

जबलपुर, दिनांक 13 अगस्त, 2015

क्र. 04-02/195/यो.रूपां./2139.—यह कि केन्द्रीय सरकार की विद्युत अधिनियम, 2003 (संशोधनों, नियमों एवं उप-नियमों सहित) की धारा-67 (2) एवं धारा-176 (2) ड के अधीन प्रदत्त अधिकारों एवं कर्तव्यों के पालन हेतु मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (डीमूड ट्रांसमिशन लाईसेंसी) ने विद्युत उत्पादन गृहों से विद्युत की निकासी करने, विद्यमान अति उच्चदाब विद्युत उपकेन्द्रों से राज्य के अन्य क्षेत्रों में बिजली पहुंचाने एवं राज्य के विभिन्न उत्पादन गृहों/उपकेन्द्रों के बीच अति उच्चदाब लाइनों द्वारा अंतर्सम्पर्क स्थापित करने के उद्देश्य से 220 एवं 132 किलो वोल्ट पारेषण लाइनों एवं सम्बन्धित उपकरणों की स्थापना हेतु पारेषण परियोजनायें स्वीकृत की हैं.

इन स्वीकृत पारेषण परियोजनाओं को मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड निम्नानुसार अधिसूचित करती है:—

- (1) नाम:—ये परियोजनायें 220 व 132 किलो वोल्ट (के. वी.) लाइनों व सम्बन्धित कार्यों के निर्माण की परियोजनायें कहलायेंगी.
- (2) परियोजनाओं का विवरण:—परियोजनाओं में सम्मिलित विभिन्न कार्यों का क्षेत्र, लाइनों की लम्बाई व अनुमानित लागत आदि का विवरण निम्नानुसार है:—

डिपॉजिट वर्क :

1. 220 के. व्ही. उपकेन्द्र देवास से मेसर्स गमेशा विन्ड टर्बाइन प्राय. लिमि. के फतनपुर, तहसील टोंक खुर्द, जिला देवास में प्रस्तावित 108 मेगावाट पवन ऊर्जा विद्युत गृह तक 132 के. व्ही. डीसीडीएस लाईन का निर्माण कार्य, लंबाई-2×22 कि.मी., अनुमानित लागत-1725.00 लाख रु.
2. 220 के. व्ही. उपकेन्द्र शाजापुर से मेसर्स गमेशा विन्ड टर्बाइन प्राय. लिमि. के 48 मेगावाट, मेसर्स ग्रीन इन्फ्रावैचर लिमि. के 100 मेगावाट एवं मेसर्स नालंदा बायोमांस प्रा. लि. के 50 मेगावाट, कुल प्रस्तावित 198 मेगावाट के आगर स्थित संयुक्त कॉमन ऊर्जा विद्युत गृह तक 220 के. व्ही. डीसीडीएस लाईन का निर्माण कार्य, लंबाई-2×55 कि.मी., अनुमानित लागत-5396.00 लाख रु.

3. 220 के. व्ही. उपकेन्द्र राजगढ़ (धार) से मेसर्स गमेशा विन्ड टर्बाइन प्राय. लिमि. के कोड, जिला धार में प्रस्तावित 148 मेगावाट पवन ऊर्जा विद्युत गृह तक 220 के. व्ही. डीसीडीएस लाईन का निर्माण कार्य, लंबाई-2×50 कि.मी., अनुमानित लागत-4622.00 लाख रु.
4. मेसर्स कंटीन्यूम विन्ड एनर्जी प्रा. लिमि. के दालोदा, जिला मंदसौर में प्रस्तावित पवन ऊर्जा विद्युत गृह के विस्तार परियोजना से 178 मेगावाट पॉवर के विदोहन हेतु 220 के. व्ही. उपकेंद्र दालोदा की क्षमता बढ़ाने के लिए 220 के. व्ही. नागदा-नीमच लाईन से 220 के. व्ही. उपकेंद्र दालोदा तक 220 के. व्ही. डीसीडीएस लीलो लाईन का निर्माण कार्य तथा 220 के. व्ही. रतलाम-दालोदा लाईन के लोकेशन क्रमांक 237 से दालोद उपकेंद्र के बीच संशोधन/विस्थापन 2×4.5+1×3.7+1×4.0 कि.मी., अनुमानित लागत-1039.00 लाख रु.
5. 132 के. व्ही. उपकेन्द्र सेमरीहरचंद्र से पश्चिम मध्य रेल्वे के लिए रेल्वे विद्युतीकरण विभाग, जबलपुर द्वारा निर्माणाधीन कर्षण विद्युत उपकेंद्र बागरा तवा, जिला होशंगाबाद को 5 एम. व्ही. ए. विद्युत आपूर्ति हेतु 132 के. व्ही. 2 फेस 2 वायर डीसीएसएस लाईन का निर्माण लंबाई-1×4.3 कि.मी., अनुमानित लागत-402.49 लाख रु.
6. 132 के. व्ही. उपकेन्द्र बनखेड़ी से पश्चिम मध्य रेल्वे के लिए रेल्वे विद्युतीकरण विभाग, जबलपुर द्वारा निर्माणाधीन कर्षण विद्युत उपकेंद्र बनखेड़ी, जिला होशंगाबाद को 5 एम. व्ही. ए. विद्युत आपूर्ति हेतु 132 के. व्ही. 2 फेस 2 वायर डीसीएसएस लाईन का निर्माण कार्य, लंबाई-1×8 कि.मी., अनुमानित लागत-607.89 लाख रु.
7. पश्चिम मध्य रेल्वे द्वारा नई ललितपुर-खजुराहो ब्राड गेज रेल्वे लाईन के निर्माण के फलस्वरूप 132 के. व्ही. उपकेंद्र टीकमगढ़-जतारा लाईन के लो. क्र. 60 से 64 तक संशोधन/विस्थापन कार्य. लंबाई-1×1.1 कि.मी., अनुमानित लागत-205.69 लाख रु.
8. म.प्र. पूर्व क्षे.वि.वि.कं.लिमि. की नगर निगम नरसिंहपुर की जल प्रदाय व्यवस्था हेतु 33 के. व्ही. लाईन की शेड नदी क्रॉसिंग. लंबाई-2×0.390 कि.मी., अनुमानित लागत-59.60 लाख रु.
9. मेसर्स अपोलो क्रियेशन, इंदौर के स्थल से लाईन हटाने हेतु 132 के. व्ही. इंदौर (साउथ जोन)-चंबल लाईन का मॉडिफिकेशन/शिफ्टिंग कार्य, लंबाई-2×0.14 कि. मी., अनुमानित लागत-29.42 लाख रु.
10. श्यामगढ़-गरोठ रोड निर्माण के कारण 132 के. व्ही. उज्जैन गांधी सागर लाईन का मॉडिफिकेशन/शिफ्टिंग कार्य, लंबाई-2×0.68 कि. मी., अनुमानित लागत-34.30 लाख रु.
11. मेसर्स क्षेमा पॉवर एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राय. लिमि. कोचीन के ग्राम प्रीथमनगर, जिला रतलाम के प्रस्तावित 100.5 मेगावाट पवन ऊर्जा पॉवर प्रोजेक्ट के लिए 220 के. व्ही. सबस्टेशन बड़नगर से 220 के. व्ही. डीसीएसएस लाईन, लंबाई-15.5 कि. मी., अनुमानित लागत-1101 लाख रु.
12. मेसर्स इनॉक्स विंड इन्फ्रास्ट्रक्चर सर्विस लिमि., शाजापुर, जिला शाजापुर के प्रस्तावित 200 मेगावाट पवन ऊर्जा पॉवर प्रोजेक्ट के लिए 220 के. व्ही. सबस्टेशन शाजापुर से 220 के. व्ही. डीसीएसएस लाईन, लंबाई-6 कि. मी., अनुमानित लागत-528 लाख रु.
13. 132 के. व्ही. जबलपुर-दमोह पारेषण लाइन का मॉडिफिकेशन/विस्थापन कार्य, लंबाई 1.2 कि. मी., अनुमानित लागत-176.94 लाख रु.
14. 132 के. व्ही. जबलपुर-नरसिंहपुर पारेषण लाइन का मॉडिफिकेशन/विस्थापन कार्य, लंबाई 1.1 कि. मी., अनुमानित लागत-68.44 लाख रु.
15. 132 के. व्ही. उपकेन्द्र बामौर से मेसर्स अम्बाशक्ति बामौर जिला ग्वालियर को 25 एमव्हीए पॉवर सप्लाय हेतु 132 के. व्ही. डीसीएसएस पारेषण लाईन का निर्माण कार्य, लंबाई 1 कि. मी., अनुमानित लागत-224.84 लाख रु.

कुल अनुमानित लागत : उपरोक्त कार्यों की कुल अनुमानित लागत लगभग रु. 162.00 करोड़ है.

(3) टावर, खम्भे, तार आदि लगाने का अधिकार :

उपरोक्त स्वीकृत परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, विद्युत अधिनियम, 2003 के अन्तर्गत प्रदत्त सभी अधिकारों एवं उक्त अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये अनुज्ञप्तिधारियों का संकर्म नियम, 2006 के अधिकारों का भी प्रयोग करेगी. विद्युत के पारेषण एवं वितरण के लिए अथवा टेलीफोनिक या टेलीग्राफिक सिग्नलों के पारेषण हेतु टावर, खम्भे, तार दीवार

ब्रेकेट, स्टे यंत्रों और उपकरणों को लगाने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 (संशोधनों, नियमों एवं उप-नियमों सहित) एवं उपरोक्त वर्णित नियम, 2006 के प्रावधानों के अनुसार मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को वे सभी अधिकार हैं एवं उनका वह उपयोग करेगी जो भारतीय तार यंत्र अधिनियम, 1885 (1885 का 13) के तहत भारतीय तार यंत्र प्राधिकरण को रख-रखाव अथवा स्थापित या भविष्य में स्थापित किये जाने वाले तार यंत्र के सम्बन्ध में प्राप्त हैं।

(4) एतद्द्वारा मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड द्वारा स्वीकृत उपरोक्त पारोषण परियोजनायें राजपत्र एवं समाचारपत्रों में प्रकाशन द्वारा जनता को अधिसूचित की जाती हैं।

(301-बी.)

के. के. सक्सेना,

मुख्य अभियंता (कारपोरेट अफेयर्स).

उप-नाम परिवर्तन

सूचित किया जाता है कि मैं, रजनी शबानी पत्नी श्री हरीश शबानी, निवासी मकान नं. एच-7/10, न्यू 98 क्वार्टर माता मंदिर, भोपाल सूचित करती हूँ कि मेरी शासकीय सेवा संबंधी अभिलेखों में मेरा नाम रजनी छवानी अंकित है, जो कि गलत है जबकि मेरा सही नाम रजनी शबानी है।

अतः भविष्य में मुझे रजनी शबानी के नाम से जाना व पहचाना जाये।

पुराना नाम :

(रजनी छवानी)

(RAJNI CHAWANI)

(300-बी.)

नया नाम :

(रजनी शबानी)

(RAJNI SHABANI)

नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती शालिनी बाली पत्नी श्री प्रदीप बाली, निवासी रोज-376, मिनाल रेसीडेन्सी, जे. के. रोड, भोपाल सूचित करती हूँ कि मेरे विवाह के पूर्व मेरे समस्त दस्तावेजों में मेरा नाम शालू जोशी पुत्री श्री सुकेश कुमार जोशी था जो कि अब विवाह के बाद श्रीमती शालिनी बाली हो गया है।

अतः भविष्य में मुझे श्रीमती शालिनी बाली के नाम से जाना व पहचाना जावे।

पुराना नाम :

(शालू जोशी)

(252-बी.)

नया नाम :

(शालिनी बाली)

पत्नी-प्रदीप बाली,

निवासी-रोज-376, न्यू मिनाल रेसीडेन्सी,

जे. के. रोड, भोपाल (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम हेमा जैन है, मेरे पति का नाम श्री राहुल जैन है. मेरे समस्त शासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम हेमा जैन के नाम से ही है.

गलती से मेरे पुत्र पर्युल जैन की कक्षा 10वीं की C.B.S.E. की अंकसूची में मेरे घर का नाम निशी जैन लिख गया है. जिसे अब मेरे सही नाम हेमा जैन के नाम से जाना जाये.

पुराना नाम :

(निशी जैन)

(260-बी.)

नया नाम :

(हेमा जैन)

निवासी-833, बड़ा फुहारा, जवाहरगंज वार्ड,

जबलपुर (म.प्र.).

CHANGE OF NAME

Be, it known that I, Rashmi Rakheja W/o Arun Kumar Jhanda, Age About 52 Years, doing service and resident of 62, Ramnagar Colony, Idgah-Hills, District-Bhopal-462001 (M.P.) has change my name and hence-forth I, will be known as Rashmi Jhanda to Rashmi Rakheja in future.

Old Name :

(RASHMI JHANDA)

(302-B.)

New Name :

(RASHMI RAKHEJA)

Address—62, Ramnagar Colony, Idgah Hills,

District Bhopal 462001 (M.P.).

नाम परिवर्तन

शादी के पूर्व मेरा नाम कु. सुहास बेडेकर था जो कि शादी के बाद श्रीमती ज्योति चितले हो गया है. अतः भविष्य में मुझे सभी सरकारी दस्तावेजों में श्रीमती ज्योति चितले के नाम से जाना जाये.

पुराना नाम :

(कु. सुहास बेडेकर)

नया नाम :

(ज्योति चितले)

प्लॉट नं. 247, एफ-3, साईधाम अपार्टमेंट,
ई-8, त्रिलंगा, भोपाल (म.प्र.).

(308-बी.)

CHANGE OF NAME

I, Hari Prasad Kishorilal Meena have changed my name from Hari Prasad Kishori Lal Meena to Hari Prasad Meena for all purposes. I, notarized that on non-judiciary stamp.

Old Name :

(HARI PRASAD KISHORILAL MEENA)

New Name :

(HARI PRASAD MEENA)

Q. No. 1, Type V, Income Tax Colony,
Ujjain (M.P.).

(309-B.)

CHANGE OF NAME

I, here by declared that, My Son's previous name was AARAV DAWAR. But now we want to change it as AARAV DAWAR to MAULIK DAWAR. Henceforth my Son's name will be known read and written as MAULIK DAWAR in every where.

DINESH DAWAR

(Father)

25, Manish Puri Colony,
Indore (M.P.).

(310-B.)

उप-नाम परिवर्तन

मैं, श्रीमती सुनीता सेठी पोपली पति श्री मनीष पोपली, पता-प्लेट नं. 312, कौशल्या प्लाजा, गुलाटी पेट्रोल पम्प के पास, मदन महल, जबलपुर यह घोषणा करती हूँ कि विवाह से पूर्व मेरा नाम कुमारी सुनीता सेठी पिता ओमप्रकाश सेठी था. जोकि मेरे समस्त प्रमाणपत्रों में दर्ज है. मेरा विवाह दिनांक 14-11-2011 को श्री मनीष पोपली के साथ हो जाने के बाद मुझे श्रीमती सुनीता सेठी पोपली के नाम से जाना व समझा जावे.

पुराना नाम :

(कुमारी सुनीता सेठी)

नया नाम :

(सुनीता सेठी पोपली)

(312-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे अवयस्क पुत्र निशित महाजन, निवासी-22 के, शिव मंदिर के पास, राजीव नगर, बुरहानपुर (म. प्र.) का नाम बदलकर निशित पटेल (Nishit Patel) रख लिया है. अतः भविष्य में मेरे पुत्र को निशित पटेल के नाम से जाना-पहचाना जावे. सो विदित होवे.

सुधाकर पटेल

22 के, शिव मंदिर के पास,
राजीव नगर, बुरहानपुर (म. प्र.).

(313-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, पूर्व नाम टी. वी. वेनीमाधवन, उम्र 86 वर्ष, निवासी सी-101, एन. एफ. एल. विजयपुर, जिला गुना (म. प्र.) का नाम अब परिवर्तित होकर वेणीमाधव शास्त्री हो चुका है और इस सूचना द्वारा शपथपूर्वक मैं इसकी घोषणा करता हूँ. अतः अब से मुझे पूर्व नाम टी. वी. वेनीमाधवन की जगह नए नाम वेणीमाधव शास्त्री द्वारा जाना, पुकारा एवं लिखा जाए.

पुराना नाम :

(टी. वी. वेनीमाधवन)

(314-बी.)

नया नाम :

(वेणीमाधव शास्त्री)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मुझ सूचनाकर्ता के पुत्र हर्षित अग्रवाल ने हैप्पीडेज स्कूल, कत्था मिल कॉलोनी, शिवपुरी से 2015 में कक्षा 10वीं की परीक्षा नियमित विद्यार्थी के रूप में उत्तीर्ण की थी. उसकी उक्त परीक्षा की अंकसूची एवं प्रमाण-पत्र में मेरा नाम G. D. Agrawal लिखा है. जबकि मेरा पूरा व सही नाम Gopal Das Agrawal है. उक्त त्रुटियों का संशोधन करवाया जा रहा है. अतः हर्षित अग्रवाल की अंकसूची एवं प्रमाण-पत्र में मेरा नाम Gopal Das Agrawal पढ़ा व मान्य किया जावे.

पुराना नाम :

(जी. डी. अग्रवाल)

(315-बी.)

नया नाम :

(गोपाल दास अग्रवाल)
पुत्र-श्री मदनमोहन अग्रवाल,
माधव चौक, शिवपुरी.**नाम परिवर्तन**

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मुझ सूचनाकर्ता के पुत्र अर्पित अग्रवाल ने हैप्पीडेज स्कूल, कत्था मिल कॉलोनी, शिवपुरी से कक्षा 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा नियमित विद्यार्थी के रूप में उत्तीर्ण की थी. उसकी उक्त परीक्षा की अंकसूची एवं प्रमाण-पत्र में मेरा नाम G. D. Agrawal लिखा है. जबकि मेरा पूरा व सही नाम Gopal Das Agrawal है. उक्त त्रुटियों का संशोधन करवाया जा रहा है. अतः अर्पित अग्रवाल की अंकसूचियों एवं प्रमाण पत्रों में मेरा नाम Gopal Das Agrawal पढ़ा व मान्य किया जावे.

पुराना नाम :

(जी. डी. अग्रवाल)

(316-बी.)

नया नाम :

(गोपाल दास अग्रवाल)
पुत्र श्री मदनमोहन अग्रवाल,
माधव चौक, शिवपुरी.**भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 की धारा-72 के अधीन सूचना-पत्र**

1. सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स इंदोर इंसाल्यूशन, पंजीयन क्रमांक-01/01/01/00176/12, दिनांक 16-08-2012 में से श्री गौरव गुप्ता पुत्र श्री अशोक कुमार गुप्ता एवं श्री कृष्ण कुमार ठाकुर पुत्र श्री देवी राम ठाकुर फर्म की भागीदारी से दिनांक 01-11-2012 से स्वेच्छा से पृथक् हो गए हैं.

श्री अमित दुबे पुत्र श्री प्रदीप कुमार दुबे एवं श्री श्रद्धेश चौबे पुत्र श्री शिव चौबे एवं श्री शशीकांत मर्सकोले पुत्र श्री के. एस. मर्सकोले फर्म की भागीदारी में दिनांक 01-11-2012 से शामिल हो गए हैं.

2. सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स इंदोर इंसाल्यूशन का पता दिनांक 01-11-2012 से 45 आइडियल इंडस टाउन, भोपाल (म.प्र.) से बदलकर 16-ए, प्राइवेट बिजली नगर कॉलोनी, गोविंदपुरा, भोपाल (म.प्र.) हो गया है.

भवदीय

इंदोर इंसाल्यूशन

AMIT DUBEY

(Partner).

(303-बी.)

आम सूचना

हर खास व आम को सूचित किया जाता है कि मैसर्स परमार विल्डर्स एण्ड कॉन्ट्रैक्टर्स, मुँरैना एच. आई. जी. 958, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, मुँरैना जिसका पर्थ रजिस्ट्रेशन क्रमांक ए. आर. जी./फर्म/88, सन् 2004-2005 है. इस फर्म का वर्ष 2003 में साझेदारी पत्र द्वारा पांच साझेदारों के द्वारा ठेकेदारी कार्य हेतु निर्मित किया गया और उक्त रजिस्ट्रेशन नम्बर पर रजिस्ट्रार ऑफ फर्मा द्वारा पंजीयत किया गया. इस फर्म के द्वितीय साझेदार सतीश कुमार तिवारी दिनांक 10-03-2008 से इस फर्म से स्वेच्छा से हट गये हैं और उनके स्थान पर द्वितीय स्थान पर नवीन साझेदार नलिन सिंह तोमर दिनांक 11-03-2008 से संशोधित पार्टनरशिप डीड लिखतम द्वारा सम्मिलित हुए हैं. सतीश कुमार तिवारी का इस फर्म से किसी प्रकार का सम्बन्ध व सरोकार नहीं रहा है. साझेदारी पत्र दिनांक 28-07-2003 संशोधित साझेदारी पत्रक दिनांक 11-03-2008 के द्वारा निष्प्रभावी हो गया है. अब उक्त फर्म दिनांक 11-03-2008 से नवीन रूप से संशोधित साझेदारी पत्रक के अनुसार कार्यरत है. जिसके कार्य संचालन हेतु साझेदार यदुनाथ सिंह परमार को फर्म के कार्य-व्यवसाय को नियमित एवं सुचारू रूप से संचालित किये जाने हेतु सभी पक्षकारों द्वारा मुख्यार आम नियुक्त किया गया है. यह सूचना रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म्स अधिनियम के प्रावधानों एवं इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट, 1932 की धारा-58111 के पालन में उक्त फर्म के मुख्यार आम द्वारा वैधानिक कार्यवाही एवं नवीन साझेदारी की नियुक्ति बाबत जारी की गई सर्व-सम्बंधित आमजन सूचित हो. दिनांक 14-08-2015.

प्रेषक

मनमोहन सक्सैना

(एडवोकेट मुँरैना)

वास्ते-यदुनाथ सिंह परमार मुख्यार आम

मै. परमार विल्डर्स एण्ड कॉन्ट्रैक्टर्स मुँरैना

एच. आई. जी. 958, हाउसिंग बोर्ड

कॉलोनी, मुँरैना (म.प्र.).

(304-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मै. फ्रेण्ड्स कांस्ट्रक्शन कम्पनी, पड़रा, रीवा (म.प्र.) में निम्नलिखित रूप से परिवर्तन किया गया है. अब इसमें श्री मुकेश त्रिपाठी को गत 04-07-2015 से शामिल किया गया जबकि श्रीमती नीलिमा तिवारी अलग हो गई हैं.

मै. फ्रेण्ड्स कांस्ट्रक्शन कम्पनी,

मुकेश त्रिपाठी,

जिला रीवा (म.प्र.).

(305-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मे. न्यू रीवा कांस्ट्रक्शन कंपनी, रीवा से दिनांक 13-11-2014 से निम्न पार्टनरों को पृथक् किया जाता है—

1. देवमुनि तिवारी
2. रामशरण पाण्डेय
3. हिमांशु पाण्डेय

उक्त दिनांक से ही फर्म में नये पार्टनर श्री राजकुमार तिवारी को शामिल किया जा रहा है, फर्म से पृथक् किये गये पार्टनरों का उक्त दिनांक पश्चात् फर्म से कोई लेना-देना नहीं रहेगा. शेष पार्टनर यथावत् फर्म में बने रहेंगे.

मे. न्यू रीवा कांस्ट्रक्शन कम्पनी,

मिश्री लाल तिवारी,

ढेकहा, रीवा (म.प्र.).

(306-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मे. केशरवानी सर्विस स्टेशन, ब्यौहारी, जिला शहडोल (म. प्र.) से दिनांक 01-04-15 से स्व. श्री बाबूनन्दन गुप्ता को उनकी मृत्यु होने के कारण पृथक् किया जाता है. उक्त दिनांक से ही फर्म में नयी पार्टनर श्रीमती किरण गुप्ता को शामिल किया जाता है. फर्म के शेष पार्टनर यथावत् रहेंगे.

मे. केशरवानी सर्विस स्टेशन,

विनोद कुमार गुप्ता,

ब्यौहारी, जिला शहडोल (म.प्र.).

(307-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स ग्रीन अर्थ वेंचर्स पार्टनरशिप फर्म के रूप में स. पंजीयक कार्यालय फर्म्स एवं संस्थाएं, इन्दौर में पंजीकृत है एवं दिनांक 31-10-2014 को श्री धीरेन्द्र कुमार दुबे पिता श्री वीरेंद्र कुमार दुबे, निवासी 403, त्रिशाल काम्प्लेक्स-5, सांघी कॉलोनी, इन्दौर ने फर्म से भागीदार के रूप में त्याग-पत्र दिया होकर फर्म से पृथक् हो गए हैं एवं फर्म में श्री राजेन्द्र कानूनगो पिता श्री मोतीलाल कानूनगो, निवासी 302, पुष्परत्न श्रीपती 10/11, दिलपसंद कॉलोनी, इन्दौर नए साझेदार के रूप में शामिल हुए हैं। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, 1932 अन्तर्गत पालनार्थ सर्व-सूचना है।

द्वारा-मेसर्स ग्रीन अर्थ वेंचर्स
कौशल खण्डेलवाल
(पार्टनर).

(311-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार श्री सोहन लाल भोला, श्री गोवर्धन भोला, श्री अंकुर भोला, श्रीमति शेरी भोला, श्रीमति सुनिता भोला, फर्म सोहन लाल एण्ड संस, रसल चौक, जबलपुर के 20 प्रतिशत, 20 प्रतिशत यानि की बराबर-बराबर के भागीदार हैं, इनमें से श्री सोहनलाल भोला का देहान्त 1-8-2014 को हो गया है। उनकी मृत्यु के फलस्वरूप अब सोहनलाल एण्ड संस से श्री गोवर्धन भोला, श्री अंकुर भोला, श्रीमति शेरी भोला, श्रीमति सुनिता भोला 25-25 प्रतिशत बराबर-बराबर के हिस्से के भागीदार हुये।

भवदीय,
एम. सी. यादव
(एडवोकेट)
730, रसल चौक, जबलपुर.

(317-बी.)

विविध**न्यायालयों की सूचनाएं****न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, गौहरगंज, जिला रायसेन**

गौहरगंज, दिनांक 07 अगस्त, 2015

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा-5 (1) पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1952 के नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

समक्ष:-रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट गौहरगंज, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश.

जैसा कि आवेदक राजा भोजपाल न्यास मण्डीदीप, तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन द्वारा मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम की धारा-4 के अन्तर्गत एक आवेदन-पत्र सूची में दर्शाई गई सम्पत्ति के अनुसार पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया है।

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन मेरे न्यायालय में मेरे द्वारा दिनांक 07 सितम्बर, 2015 को विचार में लिया जावेगा. यदि कोई व्यक्ति, संस्था जो ट्रस्ट में या ट्रस्ट की सम्पत्ति में हित रखता हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो, तो लिखित में दो प्रतियों में सूचना के प्रकाशन के एक माह के भीतर प्रस्तुत करें अथवा उक्त दिनांक को स्वयं या अपने अभिभाषक के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित होकर लिखित आपत्तियां प्रस्तुत कर सकता है. उपर्युक्त अवधि समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

ट्रस्ट का नाम	:	राजा भोजपाल न्यास मण्डीदीप, तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश द्वारा पब्लिक ट्रस्ट (म.प्र.).
कार्यालय का पता	:	राजा भोज न्यास मकान नं. 7/34, प्रेम नगर चौराहा, विवेक जाग्रति रोड मण्डीदीप, तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश द्वारा पब्लिक ट्रस्ट मध्यप्रदेश.
अचल सम्पत्ति का विवरण.	:	निरंक.
चल सम्पत्ति	:	11,000/- (ग्यारह हजार रुपये) बैंक खाते में.

राजेश श्रीवास्तव,
अनुविभागीय अधिकारी.

(460)

न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास, नरसिंहपुर

प्ररूप क्रमांक-04

[देखें नियम-5 (1)]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और
मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम-5 (1) के द्वारा]

लोक न्यास के पंजीयक, जिला नरसिंहपुर के समक्ष.

यह कि श्री सुरेन्द्र कुमार सोनी आ. रामनारायण सोनी, निवासी-दीवान चंद टाल के पास कामथ वार्ड कंदेली, तहसील व जिला नरसिंहपुर ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अन्तर्गत एक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट नीचे लिखी सम्पत्ति एवं ट्रस्टी सदस्यों को लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिए आवेदन किया है, एतद्द्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पर 03 सितम्बर, 2015 के कार्यालयीन दिवस पर मेरे न्यायालय में विचार में लिया जाएगा.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिये और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा मान्य अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व सम्पत्ति का विवरण)

नाम : श्री देव रामानंद जी न्यास, नरसिंहपुर
पता : जरजोला, तहसील व जिला नरसिंहपुर.

स्थावर (अचल सम्पत्ति का विवरण)

मौजा जरजोला नं. बं.-189, प. ह. नं.-39 रा. नि. म.-2, तहसील व जिला नरसिंहपुर स्थित राजस्व ख. नं.-237/7, रकबा-1.619 हेक्टेयर भूमि है.

न्यासी समिति के सदस्यों के प्रस्तावित नाम:-

क्र.	प्रस्तावित नाम	पदनाम
1.	श्री सुरेन्द्र कुमार सोनी आ. श्री रामनारायण सोनी	अध्यक्ष
2.	श्री जगदीश प्रसाद सोनी आ. स्व. श्री कालूराम सोनी	उपाध्यक्ष
3.	श्री विनोद कुमार सोनी आ. श्री दयाराम सोनी	सचिव
4.	श्री मुरारीलाल सोनी आ. स्व. श्री पूरनलाल सोनी	कोषाध्यक्ष
5.	श्री राजेन्द्र कुमार सोनी आ. स्व. श्री राधेश्याम सोनी	संयुक्त सचिव
6.	श्री गोविंद प्रसाद सोनी आ. स्व. श्री परमानंद सोनी	उपकोषाध्यक्ष
7.	श्री अरूण सोनी आ. स्व. श्री छिकौड़ीलाल सोनी	न्यासी सदस्य

सुश्री लता पाठक,

अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

(461)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, अनुभाग देवास

देवास, दिनांक 11 अगस्त, 2015

[पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 की धारा-5 (2) व पब्लिक ट्रस्ट नियम, 1952 के नियम 5 (1) के अन्तर्गत]

क्र./4136/रीडर-1/15.—अध्यक्ष श्री यशवन्त मधुसूदन पाण्डे “श्री सेकवाल ब्राम्हण समाज ट्रस्ट”, 14/1, जेल रोड, जनता बैंक के पीछे, देवास के नाम से पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है. आवेदन-पत्र के साथ ट्रस्ट का घोषणा-पत्र उद्देश्य नियमावली एवं ट्रस्ट की प्रस्तावना एवं उसकी रूपरेखा आदि के साथ संलग्न किया गया है. ट्रस्ट पंजीयन के संबंध में चालान क्रमांक 112, दिनांक 15 मई, 2015 से भारतीय स्टेट बैंक, मोतीबंगला शाखा, देवास में पंजीयन शुल्क रुपये 5/- की राशि जमा कर चालान की प्रति संलग्न की गई है.

अतः “श्री सेकवाल ब्राम्हण समाज ट्रस्ट” 14/1, जेल रोड, जनता बैंक के पीछे, देवास के पंजीयन हेतु यदि किसी व्यक्ति विशेष अथवा कोई संस्था को किसी भी प्रकार की कोई दावा/आपत्ति हो तो वह अपनी लिखित आपत्ति आगामी पेशी दिनांक 8 सितम्बर, 2015 को

समक्ष में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है. नियत समयावधि के पश्चात् प्राप्त होने वाली किसी भी प्रकार की दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा प्रकरण में आगामी कार्यवाही सम्पादित की जावेगी.

आज दिनांक 11 अगस्त, 2015 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई.

धीरज श्रीवास्तव,
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

(462)

न्यायालय पंजीयक, सार्वजनिक लोक न्यास, बुरहानपुर

प्र.क्र. बी/113/2014-15.

जारी दिनांक 14 अगस्त, 2015

प्रारूप-तृतीय

[नियम-5(1) देखिये]

[मध्यप्रदेश सार्वजनिक लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-04 के अन्तर्गत]

एतद्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि लोक न्यासों के पंजीयक बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर के समक्ष यह कि अध्यक्ष सुरेन्द्र कुमार पिता कन्हैयालाल जैन, निवासी ग्राम शाहपुर, तहसील व जिला बुरहानपुर, मध्यप्रदेश ने "श्री गणपति एवं नवदुर्गा मन्दिर ट्रस्ट, नवदुर्गा चौक, शास्त्री वार्ड, बुरहानपुर (म.प्र.)" का लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिये "लोक न्यास" के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिये आवेदन किया है. एतद्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन दिनांक 18 सितम्बर, 2015 को मेरे न्यायालय में विचार में लिया जावेगा.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिये और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जावेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता सम्पत्ति का विवरण)

- | | | |
|---------------------|---|---|
| 1. लोक न्यास का नाम | : | "श्री गणपति एवं नवदुर्गा मन्दिर ट्रस्ट, नवदुर्गा चौक, शास्त्री वार्ड, बुरहानपुर (म.प्र.)" |
| 2. चल सम्पत्ति | : | श्री नवदुर्गा, श्री हनुमानजी, श्री भैरवजी एवं श्री गणेश जी की मूर्तियों पर चांदी के आभूषण जिनमें 4 छत्र, चांदी का एक मुकुट, चांदी की 6 चूड़ियां वजनी अन्दाजन दो किलो कीमत 94,724/- एवं बचत खाता अपेक्स बैंक, बुरहानपुर में 5,136/- जमा हैं. |
| 3. अचल सम्पत्ति | : | ब्लाक नं. 37 प्लॉट नं. 2 क्षेत्रफल 238 वर्गफीट भूमि जिस पर मन्दिर एवं मन्दिर के पीछे 4 x 11 वर्गफीट पर दुकान बनी है, उक्त सम्पत्ति श्री गणपतिजी का मन्दिर नाम से दर्ज है. |

के. आर. बड़ोले,
पंजीयक.

(463)

न्यायालय पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी, सार्वजनिक न्यास, पथरिया, जिला दमोह

दमोह, दिनांक 22 अगस्त, 2015

आलय क्रमांक-4

[देखें नियम-5]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 का 30 और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम-5 (1) के द्वारा]

यतः कि श्री नारायण दास उर्फ मोनीबाबा चेला श्री कल्याण दास उर्फ स्व. श्रीश्री 1008 शिवोहम महाराज, निवासी मडकोला, तहसील पथरिया, जिला दमोह ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अंतर्गत आवेदन-पत्र अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिये लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिये आवेदन-पत्र किया है, एतद्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथन आवेदन-पत्र 2015 माह सितम्बर, 28 सितम्बर, 2015 तक मेरे न्यायालय में विचार में लिया जावेगा.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुये कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना-पत्र से प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्ति को विचार में नहीं लिया जावेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व सम्पत्ति का विवरण)

1. लोक न्यास का नाम व पता : मडलेश्वर मंदिर ट्रस्ट मडकोला सीतानगर, तहसील पथरिया, जिला दमोह.
2. सम्पत्ति का विवरण : ग्राम मडकोला में कुल भूमि 5.65, 039 हे.
ग्राम सीतानगर में कुल भूमि 2.02 हे.

एन. एल. सामरथ,
अनुविभागीय अधिकारी.

(487)

अन्य सूचनाएं

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा-अध्यक्ष,
राजपत्रित अधिकारी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या.,
ग्वालियर.

राजपत्रित अधिकारी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर जिसका पंजीयन क्रमांक/डी.आर./185, दिनांक 10 जनवरी, 1992 है, मध्यप्रदेश सहकारी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अन्तर्गत आदेश क्र./पी./15/429, दिनांक 17 मार्च, 2015 के द्वारा संस्था सदस्यों के निर्णय कि, संस्था को पुनः क्रियाशील कर, कार्ययोजना के आधार पर एक सक्षम इकाई बनाया जावेगा एवं संस्था के सभी सदस्य मिलकर सहकारी विधान एवं संस्था की उपविधि अनुसार संस्था का संचालन करेंगे, के आधार पर संस्था को पुनर्जीवित करते हुये, तीन माह हेतु गठित कार्यकारिणी समिति को निर्देशित किया गया था कि संस्था तीन माह के अन्दर नवीन प्रबंधकार्यकारिणी समिति के निर्वाचन के लिये मध्यप्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी, भोपाल को विधिवत आवेदन कर निर्वाचन करावे.

किन्तु संस्था के पुर्नजीवन के पांच माह पश्चात् भी संस्था द्वारा विधिवत निर्वाचन प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है. इससे स्पष्ट होता है कि संस्था अपने पुर्नजीवन के उद्देश्यों एवं दायित्वों को वहन करने में असफल रही है.

अतः संस्था द्वारा अपने दायित्वों व सहकारी विधानों का पालन न करने के कारण मैं, संजय दलेला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपको अवसर प्रदान करता हूँ कि आप उपरोक्त आरोपों के लिये सूचना-पत्र आमसभा में सदस्यों के समक्ष रखकर निर्णय लेकर 30 दिवस के अन्दर अपना उत्तर प्रस्तुत करें, कि क्यों न उपरोक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जावे. यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते हैं, तो दिनांक 14 सितम्बर, 2015 को कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रमाणों सहित मेरे समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं. निर्धारित समयवधि में उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किये जाने से यह माना जावेगा कि आपको उपरोक्त आरोप स्वीकार हैं. तदनुसार विधि अनुरूप निर्णय लिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 24 अगस्त, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

संजय दलेला,
उप-पंजीयक.

(464)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन

उज्जैन, दिनांक 28 जुलाई, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2015/2732.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 478, दिनांक 27 फरवरी, 2013 द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बपैया, तहसील महिदपुर, जिला उज्जैन जिसका पंजीयन क्रमांक 762, दिनांक 25 अगस्त, 1987 को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960

की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री मुकेश जोशी, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 28 जुलाई, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(466)

उज्जैन, दिनांक 03 अगस्त, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2015/2815.— इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत दिनांक 6 जनवरी, 2015 से कार्यालयीन आदेश क्र./परि./2015/50, उज्जैन, दिनांक 6 जनवरी, 2015 से कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर निम्नलिखित संस्था को सूचित किया गया था कि क्यों न संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये:-

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
1.	अन्नपूर्णा गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	101/13-06-1985
2.	माधव गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., नागदा उज्जैन	102/22-07-1985
3.	शेषशाही गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., नागदा	137/25-09-1988
4.	आलोक गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	1378/21-01-1995
5.	महाकालेश्वर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	67/11-08-1980
6.	प्रताप गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., भाटपचलाना उज्जैन	120/23-08-1986
7.	आयकर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	121/23-08-1986

कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित कारणों का जवाब व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत दिनांक 20 जनवरी, 2015 पर संस्थाओं की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ तथा प्रेषित जवाब समाधान कारक नहीं पाया गया. संस्थाओं के संचालक मण्डल का निर्वाचन नहीं करवाना, उद्देश्यानुसार कार्य नहीं करना, स्पष्ट करता है कि संस्थाओं के पदाधिकारीगण संस्थाओं का संचालन करने में उदासीन हैं.

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित संस्थाओं को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत संस्थाओं के नाम के सम्मुख में उल्लेखित अधिकारी को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्थाओं के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 3 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें:-

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापक का नाम व पद
1	2	3	4
1.	अन्नपूर्णा गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	101/13-06-1985	बी. एल. मेहर, व. स. नि.
2.	माधव गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., नागदा उज्जैन	102/22-07-1985	बी. एल. मेहर, व. स. नि.
3.	शेषशाही गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., नागदा	137/25-09-1988	बी. एल. मेहर, व. स. नि.

1	2	3	4
4.	आलोक गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	1378/21-01-1995	बी. एल. मेहर, व. स. नि.
5.	महाकालेश्वर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	67/11-08-1980	बी. एल. मेहर, व. स. नि.
6.	प्रताप गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., भाटपचलाना उज्जैन	120/23-08-1986	बी. एल. मेहर, व. स. नि.
7.	आयकर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	121/23-08-1986	बी. एल. मेहर, व. स. नि.

यह आदेश आज दिनांक 03 अगस्त, 2015 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(466-A)

उज्जैन, दिनांक 03 अगस्त, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2015/2816.—इस कार्यालय द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (बी/ख) (सी/ग) के अन्तर्गत दिनांक 06 जनवरी, 2015 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परि./2015/50, उज्जैन, दिनांक 06 जनवरी, 2015 से को कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया जाकर निम्नलिखित संस्था को सूचित किया गया था कि क्यों न संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाये:-

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
1.	विक्रम बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	22/12-04-2002
2.	कल्याण बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	145/22-07-2011
3.	मंगलनाथ कृषि प्रक्रिया विपणन सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	1449/31-03-1997
4.	वासुदेव कुटुम्बक उद्यानिकी पोष पुष्प सब्जी कृषि उत्पादक विपणन भण्डार अनु. एवं प्रक्रिया सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन.	1655/22-01-2005
5.	श्री कृष्ण साख सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	1490/18-09-1998

कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित कारणों का जवाब व्यक्तिगत सुनवाई हेतु नियत तिथि दिनांक 24 फरवरी, 2015 पर संस्था की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ तथा प्रेषित जवाब समाधानकारक नहीं पाया गया. संस्था के संचालक मण्डल का निर्वाचन नहीं करवाना, उद्देश्यानुसार कार्य नहीं करना, स्पष्ट करता है कि संस्था के पदाधिकारीगण संस्था का संचालन करने में उदासीन हैं.

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (क/ग) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निम्नलिखित संस्था को परिसमापन में लाता हूँ तथा अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत संस्था के नाम के सम्मुख में उल्लेखित अधिकारी को आगामी आदेश तक परिसमापक नियुक्त करता हूँ. परिसमापक तत्काल संस्था का सम्पूर्ण चार्ज प्राप्त कर चार्ज लिस्ट दो प्रतियों में कार्यालय को प्रेषित करें एवं संस्था के आस्तियों एवं दायित्वों का नियमानुसार निराकरण कर 3 माह में अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें:-

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापक का नाम व पद
1.	विक्रम बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	22/12-04-2002	एस. एन. मेहता, सह. निरी.
2.	कल्याण बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	145/22-07-2011	एस. एन. मेहता, सह. निरी.
3.	मंगलनाथ कृषि प्रक्रिया विपणन सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	1449/31-03-1997	एस. एन. मेहता, सह. निरी.
4.	वासुदेव कुटुम्बक औद्योगिक पुष्प सब्जी भण्डार सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन.	1655/22-01-2005	एस. एन. मेहता, सह. निरी.
5.	श्री कृष्ण साख सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	1490/18-09-1998	आर. एल. नागर, सह. निरी.

यह आदेश आज दिनांक 03 अगस्त, 2015 को कार्यालयीन मुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

मनोज जायसवाल,
उप-पंजीयक.

(466-B)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन

उज्जैन, दिनांक 02 जुलाई, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

सर्व-साधारण की जानकारी के लिये यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन, जिला उज्जैन के आदेश क्रमांक/परि./2015/1147, उज्जैन, दिनांक 25 मई, 2015 के द्वारा मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्रमांक	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक व दिनांक
1.	महिदपुर महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., महिदपुर	1723/03-03-2009	1147/25-05-2015

अतः मैं, मुकेश जोशी, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अनुसार सर्व-साधारण की जानकारी के लिये सूचना-पत्र प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्था के विरुद्ध किसी का भी कोई लेना-देना निकल रहा हो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के दो माह के अन्दर अपने दावे प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन में प्रस्तुत करें. उक्त अवधि में पेश न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकॉर्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्था के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा.

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी व्यक्ति के पास इस समिति के सदस्यों या भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास इस समिति की कोई लेखापुस्तकें, रोकड़, चल-अचल सम्पत्तियों या अन्य कोई भी सामान तथा रिकॉर्ड आदि हो तो इस सूचना प्रकाशित होने के एक माह के अन्दर उक्त वर्णित कार्यालय में जमा कराकर रसीद प्राप्त करें, अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत होने के बाद किसी भी व्यक्ति के पास इस समिति की उपरोक्त चीजें होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी, जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा.

यह सम्यक् सूचना आज दिनांक 02 जुलाई, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गयी.

(473)

मुकेश जोशी,
परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन

उज्जैन, दिनांक 15 जुलाई, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

सर्व-साधारण की जानकारी के लिये यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन, जिला उज्जैन के आदेश से मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक व दिनांक
1.	बबारामदेव औद्योगिक सेनेटरी मार्ट सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन.	1712/11-03-2008	1148/25-05-2015
2.	विकास कामगार सेनेटरी मार्ट सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन.	997/26-02-1991	1148/25-05-2015

अतः मैं, राजेन्द्र वर्मा, सहकारी निरीक्षक मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अनुसार सर्व-साधारण की जानकारी के लिये सूचना-पत्र प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्था के विरुद्ध किसी

का भी कोई लेना-देना निकल रहा हो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के दो माह के अन्दर अपने दावे प्रमाण सहित मुझे कार्यालय संयुक्त आयुक्त, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन संभाग उज्जैन में प्रस्तुत करें. उक्त अवधि में पेश न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकॉर्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्था के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा.

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी व्यक्ति के पास इस समिति के सदस्यों या भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास इस समिति की कोई लेखापुस्तकें, चल-अचल सम्पत्तियों या अन्य कोई भी सामान तथा रिकॉर्ड आदि हो तो इस सूचना प्रकाशित होने के एक माह के अन्दर उक्त वर्णित कार्यालय में जमा कराकर रसीद प्राप्त करें, अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत होने के बाद किसी भी व्यक्ति के पास इस समिति की उपरोक्त चीजें होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी, जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा.

यह सम्यक् सूचना आज दिनांक 15 जुलाई, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गयी.

(474)

राजेन्द्र वर्मा,
सहकारी निरीक्षक.

उज्जैन, दिनांक 15 जुलाई, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2015/क्यू.—सर्व-साधारण की जानकारी के लिये यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन, जिला उज्जैन के आदेश से मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया है:—

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन में लाने का क्रमांक व दिनांक
1.	हम्माल तुलावटी सेनटरी मार्ट सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन.	08/29-08-2001	1148/25-05-2015
2.	महाकाल इन्स्टीट्यूट ऑफ कम्प्यूटर सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन.	1721/06-02-1991	1148/25-05-2015

अतः मैं, श्री दिनेश दन्देलियाँ, सहकारी निरीक्षक मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अनुसार सर्व-साधारण की जानकारी के लिये सूचना-पत्र प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्था के विरुद्ध किसी का भी कोई लेना-देना निकल रहा हो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के दो माह के अन्दर अपने दावे प्रमाण सहित मुझे कार्यालय संयुक्त आयुक्त, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन संभाग उज्जैन में प्रस्तुत करें. उक्त अवधि में पेश न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकॉर्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्था के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा.

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी व्यक्ति के पास इस समिति के सदस्यों या भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास इस समिति की कोई लेखापुस्तकें, चल-अचल सम्पत्तियों या अन्य कोई भी सामान तथा रिकॉर्ड आदि हो तो इस सूचना प्रकाशित होने के एक माह के अन्दर उक्त वर्णित कार्यालय में जमा कराकर रसीद प्राप्त करें, अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत होने के बाद किसी भी व्यक्ति के पास इस समिति की उपरोक्त चीजें होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी, जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा.

यह सम्यक् सूचना आज दिनांक 15 जुलाई, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गयी.

(475)

दिनेश दन्देलियाँ,
सहकारी निरीक्षक.

उज्जैन, दिनांक 7 फरवरी, 2015

क्र./परि./2015/क्यू.—सर्व-साधारण की जानकारी के लिये यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं,

उज्जैन, जिला उज्जैन के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2015/326, दिनांक 04 फरवरी, 2015 से मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्रमांक	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक
1.	सम्मान महिला एवं स्वायत्तता समूह सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन.	108/27-02-2009
2.	कामगार हाथ करघा बुनकर सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन.	449/16-05-1978

अतः मैं, आर. एल. नागर, सहकारी निरीक्षक सर्व-साधारण की जानकारी के लिये सूचना प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्था के विरुद्ध किसी भी व्यक्ति/संस्था का कोई लेना-देना शेष हो तो वे इस विज्ञापित के प्रकाशित होने के दो माह के अन्दर अपने दावे/आपत्ति प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन में प्रस्तुत करें। उक्त अवधि में पेश न होने वाले दावे/आपत्ति या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकॉर्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर उक्त संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जावेंगे।

यह भी सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति/सदस्यों/भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास इस समिति की कोई लेखापुस्तकें, रोकड़, चल-अचल सम्पत्तियों या अन्य कोई भी सामान तथा रिकॉर्ड आदि हो तो इस सूचना के प्रकाशित होने के एक माह के अन्दर मुझे प्रस्तुत करके रसीद प्राप्त करें, अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत होने के बाद किसी भी व्यक्ति के पास इस समिति का उपरोक्त रेकार्ड होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा।

(465)

कार्यालय परिसमापक श्री वर्धमान साख सहकारी संस्था मर्या., जिला उज्जैन

उज्जैन, दिनांक 02 फरवरी, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2015/क्यू.—सर्व-साधारण की जानकारी के लिये यह विज्ञापित प्रकाशित की जाती है कि कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन, जिला उज्जैन के आदेश क्र./परि./2015/254, उज्जैन, दिनांक 27 जनवरी, 2015 के द्वारा श्री वर्धमान साख सहकारिता मर्या., उज्जैन जिसका पंजीयन क्रमांक 74, दिनांक 14 सितम्बर, 2004 स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, 1999 में पंजीकृत थी जो वर्तमान में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-9 के अन्तर्गत सम्परिवर्तन होकर श्री वर्धमान साख सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन है जिसका पंजीयन क्रमांक/जे.आर./यू.जे.एन./36, दिनांक 15 अक्टूबर, 2014 है, का मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः मैं, आर. एल. नागर, परिसमापक, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अनुसार सर्व-साधारण की जानकारी के लिए सूचना-पत्र प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्था के विरुद्ध किसी का भी कोई लेना-देना निकल रहा हो वे इस विज्ञापित के प्रकाशित होने के दो माह के अन्दर अपने दावे प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन में प्रस्तुत करें। उक्त अवधि में पेश न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकॉर्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्था के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा।

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी व्यक्ति के पास इस समिति के सदस्यों या भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास इस समिति की कोई लेखापुस्तकें, रोकड़, चल-अचल सम्पत्तियों या अन्य कोई भी सामान तथा रिकॉर्ड आदि हो तो इस सूचना प्रकाशित होने के एक माह के अन्दर कार्यालय उप-पंजीयक सहकारी समितियां, जिला उज्जैन (आर. टी. ओ. ऑफिस के ऊपर, भरतपुरी, देवास रोड, उज्जैन) में जमा कराकर रसीद प्राप्त करें, अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत होने के बाद किसी भी व्यक्ति के पास इस समिति की उपरोक्त चीजें होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी, जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा।

यह सम्यक् सूचना आज दिनांक 02 फरवरी, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गयी।

(476)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन

उज्जैन, दिनांक 04 जुलाई, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2015/क्यू.—सर्व-साधारण की जानकारी के लिये यह विज्ञापित प्रकाशित की जाती है कि कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं,

उज्जैन, जिला उज्जैन के आदेश से मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्रमांक	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक
1.	विश्वास महिला प्रिंटिंग सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	1623/22-01-2004	1143/25-05-2015
2.	जल कृषि मछुआ सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	822/12-12-1988	1144/25-05-2015
3.	ग्रामीण कुमारी उद्योग सहकारी संस्था मर्या., निनोरा	590/01-07-1982	1147/25-05-2015

अतः मैं, आर. एल. नागर, सहकारी निरीक्षक सर्व-साधारण की जानकारी के लिये सूचना प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं के विरुद्ध किसी भी व्यक्ति/संस्था का कोई लेना-देना शेष हो तो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के दो माह के अन्दर अपने दावे/आपत्ति प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन में प्रस्तुत करें. उक्त अवधि में पेश न होने वाले दावे/आपत्ति या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकॉर्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर उक्त संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जावेंगे.

यह भी सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति/सदस्यों/भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास इस समिति की कोई लेखापुस्तकें, रोकड़, चल-अचल सम्पत्तियों या अन्य कोई भी सामान अथवा रेकार्ड आदि हो तो सूचना के प्रकाशित होने के एक माह के अन्दर मुझे प्रस्तुत करके रसीद प्राप्त करें, अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत होने के बाद किसी भी व्यक्ति के पास इस समिति का उपरोक्त रेकार्ड होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा.

यह सम्यक् सूचना आज दिनांक 04 जुलाई, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गयी.

(479)

आर. एल. नागर,
परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

उज्जैन, दिनांक 13 जुलाई, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2015/व्यू.—सर्व-साधारण की जानकारी के लिये यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन, जिला उज्जैन के आदेश क्रमांक 1144, दिनांक 25 मई, 2015 एवं आदेश क्रमांक 2546, दिनांक 08 जुलाई, 2015 के द्वारा मुझे निम्नलिखित संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्रमांक	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक व दिनांक
1.	हरिजन मत्स्य उद्योग सहकारी संस्था मर्या., देवीखेड़ा	1065/01-10-1992	1144/25-05-2015
2.	राजनन्दनी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	1634/30-12-2002	2175/17-09-2013
3.	गुरूनानक गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	10/19-08-1960	2175/17-09-2013
4.	विवेक गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	85/18-06-1982	2175/17-09-2013
5.	रत्नप्रभा गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	1463/30-08-1997	2175/17-09-2013
6.	पद्मावती गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	2175/17-09-2013	2175/17-09-2013
7.	नित्यानन्द गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	1491/18-09-1998	2175/17-09-2013
8.	नवीन नगर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	64/29-09-1979	2175/17-09-2013

अतः मैं, संतोष साँकलिया, सहकारी निरीक्षक मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अनुसार सर्व-साधारण की जानकारी के लिये सूचना-पत्र प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्था के विरुद्ध किसी का भी कोई लेना-देना निकल रहा हो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के दो माह के अन्दर अपने दावे प्रमाण सहित मुझे कार्यालय

उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन में प्रस्तुत करें. उक्त अवधि में पेश न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकॉर्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्था के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा.

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी व्यक्ति के पास इस समिति के सदस्यों या भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास इस समिति की कोई लेखापुस्तकें, रोकड़, चल-अचल सम्पत्तियों या अन्य कोई भी सामान तथा रिकॉर्ड आदि हो तो इस सूचना प्रकाशित होने के एक माह के अन्दर उक्त वर्णित कार्यालय में जमा कराकर रसीद प्राप्त करें, अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत होने के बाद किसी भी व्यक्ति के पास इस समिति की उपरोक्त चीजें होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी, जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा.

यह सम्यक् सूचना आज दिनांक 13 जुलाई, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गयी.

संतोष साँकलिया,

परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

(477)

उज्जैन, दिनांक 02 जुलाई, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2015/क्यू.—सर्व-साधारण की जानकारी के लिये यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन, जिला उज्जैन के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2015/1149, उज्जैन, दिनांक 25 मई, 2015 के द्वारा मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्रमांक	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक व दिनांक
1.	समृद्धि महिला साख सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	1696/23-05-2007	1149/25-05-2015
2.	नाकोड़ा साख सहकारी संस्था मर्या., बड़नगर	1459/21-07-1997	1149/25-05-2015
3.	श्रमिक साख सहकारी संस्था मर्या., नागदा	1489/09-09-1998	1149/25-05-2015
4.	क्षिप्रा लिफ्ट एरिगेशन साख सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	1687/16-06-2006	1149/25-05-2015
5.	आदर्श परस्पर साख सहाकरी संस्था मर्या., उज्जैन	1461/11-08-1997	1149/25-05-2015
6.	एस. एम. डी. साख सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	67/11-12-2003	1149/25-05-2015
7.	स्वयं सिद्ध महिला साख सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	113/20-05-2009	1149/25-05-2015

अतः मैं, एन. पी. बहोरे, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अनुसार सर्व-साधारण की जानकारी के लिये सूचना-पत्र प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्था के विरुद्ध किसी का भी कोई लेना-देना निकल रहा हो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के दो माह के अन्दर अपने दावे प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन में प्रस्तुत करें. उक्त अवधि में पेश न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकॉर्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्था के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा.

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी व्यक्ति के पास इस समिति के सदस्यों या भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास इस समिति की कोई लेखापुस्तकें, रोकड़, चल-अचल सम्पत्तियों या अन्य कोई भी सामान तथा रिकॉर्ड आदि हो तो इस सूचना प्रकाशित होने के एक माह के अन्दर उक्त वर्णित कार्यालय में जमा कराकर रसीद प्राप्त करें, अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत होने के बाद किसी भी व्यक्ति के पास इस समिति की उपरोक्त चीजें होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी, जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा.

यह सम्यक् सूचना आज दिनांक 02 जुलाई, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गयी.

एन. पी. बहोरे,

परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

(478)

कार्यालय परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन

उज्जैन, दिनांक 21 जुलाई, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

सर्व-साधारण की जानकारी के लिये यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन, जिला उज्जैन के आदेशानुसार मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्रमांक	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापक नियुक्ति क्रमांक व दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक व दिनांक	रिमार्क
1.	वन खेतीहार मजदूर कामगार सहकारी संस्था मर्या., बोरखेडा जिला उज्जैन.	1205/04-08-1994	3019/12-12-2014	264/08-02-2008	-
2.	महिला बहुउद्देशीय सहकारिता मर्या., भीमाखेडी, तह. महिदपुर, जिला उज्जैन.	66/10-12-2003	3019/12-12-2014	523/22-04-2009	-
3.	किसान महिला बहुउद्देशीय सहकारिता मर्या., गजनीखेडी, तहसील बड़नगर, जिला उज्जैन.	33/22-04-2003	3019/12-12-2014	2052/17-09-2010	-
4.	महांलक्ष्मी बीज उत्पादक एवं सहकारिता मर्या., बलैडी, तह. बड़नगर, जिला उज्जैन.	27/30-11-2002	3019/12-12-2014	556/08-03-2013	-
5.	सांवरिया बीज उत्पादक एवं सहकारिता मर्या., घुडावन, तहसील बड़नगर, जिला उज्जैन.	122/18-05-2010	3019/12-12-2014	556/08-03-2013	-

अतः मैं, बी. एस. पटैल, उप-अंकेक्षक, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अनुसार सर्व-साधारण की जानकारी के लिये सूचना-पत्र प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्था के विरुद्ध किसी भी व्यक्ति/संस्था का कोई लेना-देना शेष हो तो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के दो माह के अन्दर अपने दावे/आपत्ति प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन में प्रस्तुत करें. उक्त अवधि में पेश न होने वाले दावे/आपत्ति या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकॉर्ड उपलब्ध होगा उसके आधार अनुसार ही कार्यवाही की जाकर उक्त संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जावेंगे.

यह भी सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति/सदस्यों/भूतपूर्व पदाधिकारियों/प्रबंधक के पास इस समिति की कोई लेखापुस्तकें, रोकड़, चल-अचल सम्पत्तियों या अन्य कोई भी सामान तथा रिकॉर्ड आदि हो तो इस के सूचना के प्रकाशित होने के एक माह के अन्दर मुझे प्रस्तुत करके रसीद प्राप्त करें, अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत होने के बाद किसी भी व्यक्ति के पास इस समिति का उपरोक्त रिकॉर्ड होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी, जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा.

यह सम्यक् सूचना आज दिनांक 21 जुलाई, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं मुद्रा से जारी की गयी.

(480)

बी. एस. पटैल,
परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक.

कार्यालय परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन

उज्जैन, दिनांक 22 जुलाई, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

सर्व-साधारण की जानकारी के लिये यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन, जिला उज्जैन

के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2015/671, उज्जैन, दिनांक 09 मार्च, 2015 के द्वारा मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्रमांक	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक व दिनांक
1.	पत्रकार गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	45/01-02-1968	671/09-03-2015
2.	एकता गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	1619/30-07-2003	671/09-03-2015
3.	विक्रम विश्व विद्यालय गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	63/06-04-1979	671/09-03-2015
4.	स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	40/13-03-1990	671/09-03-2015
5.	स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	49/27-05-1971	671/09-03-2015
6.	माधवी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	139/31-03-1979	671/09-03-2015
7.	कालिदास गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	79/20-08-1981	671/09-03-2015
8.	धनंजय गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	130/28-07-1987	671/09-03-2015
9.	महावीर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	70/02-02-1981	671/09-03-2015
10.	मांगतुंग गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	1535/10-10-2000	671/09-03-2015
11.	हरिओम गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	1592/01-08-2002	671/09-03-2015

अतः मैं, एम. एस. चौरसिया, परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अनुसार सर्व-साधारण की जानकारी के लिये सूचना-पत्र प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं के विरुद्ध किसी का भी कोई लेना-देना निकल रहा हो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के दो माह के अन्दर अपने दावे प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन में प्रस्तुत करें. उक्त अवधि में पेश न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकॉर्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा.

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी व्यक्ति के पास इस समिति के सदस्यों या भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास इस समिति की कोई लेखापुस्तकें, रोकड़, चल-अचल सम्पत्तियों या अन्य कोई भी सामान तथा रिकॉर्ड आदि हो तो इस सूचना प्रकाशित होने के एक माह के अन्दर उक्त वर्णित कार्यालय में जमा कराकर रसीद प्राप्त करें, अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत होने के बाद किसी भी व्यक्ति के पास इस समिति की उपरोक्त चीजें होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी, जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा.

यह सम्यक् सूचना आज दिनांक 22 जुलाई, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गयी.

एम. एस. चौरसिया,
परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.

(481)

कार्यालय परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन

उज्जैन, दिनांक 21 जुलाई, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

सर्व-साधारण की जानकारी के लिये यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन, जिला उज्जैन के आदेशानुसार मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्रमांक	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापक नियुक्ति क्रमांक व दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक व दिनांक	रिमार्क
1.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. जैथल, जिला उज्जैन.	542/11-06-1981	3019/12-12-2014	1524/09-07-2013	-

1	2	3	4	5	6
2.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. इटावा, जिला उज्जैन.	1069/05-07-1982	3019/12-12-2014	1524/09-07-2013	-
3.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या. पिपलौदा द्वारकाधीश, जिला उज्जैन.	1035/29-09-1992	3019/12-12-2014	1524/09-07-2013	-
4.	माँ कालिका मत्स्य सहकारी संस्था मर्या. अब्दालपुरा, जिला उज्जैन.	1446/11-03-1997	3019/12-12-2014	1524/09-07-2013	-

अतः मैं, अशोक मालवीया, उप-अंकेक्षक, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अनुसार सर्व-साधारण की जानकारी के लिये सूचना-पत्र प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं के विरुद्ध किसी भी व्यक्ति/संस्था का कोई लेना-देना शेष हो तो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के दो माह के अन्दर अपने दावे/आपत्ति प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन में प्रस्तुत करें. उक्त अवधि में पेश न होने वाले दावे/आपत्ति या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकॉर्ड उपलब्ध होगा उसके आधार अनुसार ही कार्यवाही की जाकर उक्त संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जावेंगे.

यह भी सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति/सदस्यों/भूतपूर्व पदाधिरियों/प्रबंधक के पास इस समिति की कोई लेखा पुस्तकें, रोकड़, चल-अचल सम्पत्तियों या अन्य कोई भी सामान तथा रिकॉर्ड आदि हो तो इस सूचना प्रकाशित होने के एक माह के अन्दर मुझे प्रस्तुत करके रसीद प्राप्त करें, अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत होने के बाद किसी भी व्यक्ति के पास इस समिति की उपरोक्त रिकॉर्ड होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी, जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा.

यह सम्यक् सूचना आज दिनांक 21 जुलाई, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं मुद्रा से जारी की गयी.

अशोक कुमार मालवीया,
उप-अंकेक्षक.

(482)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन

उज्जैन, दिनांक 20 जुलाई, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

सर्व-साधारण की जानकारी के लिये यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन, जिला उज्जैन के निम्नलिखित आदेश द्वारा मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्रमांक	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक व दिनांक
1.	वनखेतिहर मजदूर कामगार सहकारी संस्था मर्या., डाबरी	1159/19-07-1994	1146/25-05-2015
2.	महॉकाल वनखेतिहर मजदूर कामगार सहकारी संस्था मर्या., गिद्धगढ़	1642/14-06-2004	1146/25-05-2015
3.	किसान वनखेतिहर मजदूर कामगार सहकारी संस्था मर्या., झांझाखेड़ी	1658/13-10-1999	1146/25-05-2015
4.	दीनदयाल वनखेतिहर मजदूर कामगार सहकारी संस्था मर्या., दौत्रु	1666/23-03-2005	1146/25-05-2015
5.	साईनाथ ईट निर्माण सहकारी संस्था मर्या., खाचरौद	1767/08-04-2011	1146/25-05-2015
6.	गायत्री महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., निपानिया	1645/25-05-2005	1146/25-05-2015
7.	माँ सतीजी महिला सहकारी संस्था मर्या., रजला	1658/18-02-2005	1146/25-05-2015

अतः मैं, आर. एल. परमार, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अनुसार सर्व-साधारण की जानकारी के लिये सूचना-पत्र प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्था के विरुद्ध किसी का भी कोई लेना-देना निकल रहा हो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के दो माह के अन्दर अपने दावे प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन में प्रस्तुत करें. उक्त अवधि में पेश न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई

सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकॉर्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्था के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा।

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी व्यक्ति के पास इस समिति के सदस्यों या भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास इस समिति की कोई लेखापुस्तकें, रोकड़, चल-अचल सम्पत्तियों या अन्य कोई भी सामान तथा रिकॉर्ड आदि हो तो इस सूचना प्रकाशित होने के एक माह के अन्दर उक्त वर्णित कार्यालय में जमा कराकर रसीद प्राप्त करें, अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत होने के बाद किसी भी व्यक्ति के पास इस समिति की उपरोक्त चीजें होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी, जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा।

यह सम्यक् सूचना आज दिनांक 20 जुलाई, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गयी।

आर. एल. परमार,

परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

(483)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन

उज्जैन, दिनांक 27 जुलाई, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

सर्व-साधारण की जानकारी के लिये यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन, जिला उज्जैन के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2015/326, उज्जैन, दिनांक 04 फरवरी, 2015 के द्वारा मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्रमांक	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक व दिनांक
1.	समर्थ गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	133/03-03-1988	326/04-02-2015
2.	जनहित गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	69/29-12-1980	326/04-02-2015

अतः मैं, विनायक राजूरकर, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अनुसार सर्व-साधारण की जानकारी के लिये सूचना-पत्र प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्था के विरुद्ध किसी का भी कोई लेना-देना निकल रहा हो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के दो माह के अन्दर अपने दावे प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन में प्रस्तुत करें. उक्त अवधि में पेश न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकॉर्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्था के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा।

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी व्यक्ति के पास इस समिति के सदस्यों या भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास इस समिति की कोई लेखापुस्तकें, रोकड़, चल-अचल सम्पत्तियों या अन्य कोई भी सामान तथा रिकॉर्ड आदि हो तो इस सूचना प्रकाशित होने के एक माह के अन्दर उक्त वर्णित कार्यालय में जमा कराकर रसीद प्राप्त करें, अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत होने के बाद किसी भी व्यक्ति के पास इस समिति की उपरोक्त चीजें होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी, जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा।

यह सम्यक् सूचना आज दिनांक 02 जुलाई, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गयी।

विनायक राजूरकर,

परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

(484)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन

उज्जैन, दिनांक 31 जुलाई, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

सर्व-साधारण की जानकारी के लिये यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन, जिला उज्जैन के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2015/1148, दिनांक 25 मई, 2015 के द्वारा मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्रमांक	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक
1.	बलवीर सेनेटरी मार्ट सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	1533/10-10-2000
2.	हिन्दुस्तान सेनेटरी मार्ट सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	1591/18-07-2002

अतः मैं, मुकेश गुप्ता, सहकारी निरीक्षक, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अनुसार सर्व-साधारण की जानकारी के लिये सूचना-पत्र प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं के विरुद्ध किसी का भी कोई लेना-देना निकल रहा हो वे इस विज्ञापित के प्रकाशित होने के दो माह के अन्दर अपने दावे प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन में प्रस्तुत करें। उक्त अवधि में पेश न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकॉर्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार ही कार्यवाही की जाकर संस्था के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा।

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि किसी व्यक्ति के पास इस समिति के सदस्यों या भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास इस समिति की कोई लेखापुस्तकें, रोकड़, चल-अचल सम्पत्तियों या अन्य कोई भी सामान तथा रिकॉर्ड आदि हो तो इस सूचना प्रकाशित होने के एक माह के अन्दर उक्त वर्णित कार्यालय में जमा कराकर रसीद प्राप्त करें, अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत होने के बाद किसी भी व्यक्ति के पास इस समिति की उपरोक्त चीजें होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी, जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा।

यह सम्यक् सूचना आज दिनांक 31 जुलाई, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गयी।

मुकेश गुप्ता,

परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

(485)

कार्यालय उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला सीधी

सीधी, दिनांक 05 अगस्त, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2015/714.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2013/1026, दिनांक 24 दिसम्बर, 2013 के द्वारा महिला बहु-सहकारी समिति मर्या., हटवा खास, जिला सीधी, जिसका पंजीयन क्रमांक DR/SDH/895, दिनांक 24 फरवरी, 2003 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन अन्तर्गत लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री राजेश निगम, उप-अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। परिसमापक की कार्यवाही के परीक्षण उपरान्त मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, आर. पी. पाल, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला सीधी मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) (2) के तहत पंजीयक के अधिकार जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त किये गये हैं का प्रयोग करते हुये उक्त संस्था का निगम निकाय (वॉडी कॉरपोरेट) को समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 05 अगस्त, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(457-D)

सीधी, दिनांक 05 अगस्त, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2015/715.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2013/1026, दिनांक 24 दिसम्बर, 2013 के द्वारा महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बोकरो, जिला सीधी, जिसका पंजीयन क्रमांक DR/SDH/1286, दिनांक 04 दिसम्बर, 2010 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन अन्तर्गत लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री राजेश निगम, उप-अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। परिसमापक की कार्यवाही के परीक्षण उपरान्त मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, आर. पी. पाल, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला सीधी मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) (2) के तहत पंजीयक के अधिकार जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त किये गये हैं का प्रयोग करते हुये उक्त संस्था का निगम निकाय (वॉडी कॉरपोरेट) को समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 05 अगस्त, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(457-E)

सीधी, दिनांक 05 अगस्त, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2015/716.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2013/1026, दिनांक 24 दिसम्बर, 2013 के द्वारा महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., गोपालपुर, जिला सीधी, जिसका पंजीयन क्रमांक DR/SDH/1285, दिनांक 04 दिसम्बर, 2010 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन अन्तर्गत लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री राजेश निगम, उप-अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक की कार्यवाही के परीक्षण उपरान्त मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, आर. पी. पाल, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला सीधी मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) (2) के तहत पंजीयक के अधिकार जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त किये गये हैं का प्रयोग करते हुये उक्त संस्था का निगम निकाय (वॉडी कॉरपोरेट) को समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 05 अगस्त, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(457-F)

सीधी, दिनांक 05 अगस्त, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2015/717.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2013/1026, दिनांक 24 दिसम्बर, 2013 के द्वारा ईधन क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्या., खैरा बेलहा, जिला सीधी, जिसका पंजीयन क्रमांक DR/SDH/975, दिनांक 19 नवम्बर, 2004 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन अन्तर्गत लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री राजेश निगम, उप-अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक की कार्यवाही के परीक्षण उपरान्त मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, आर. पी. पाल, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला सीधी मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) (2) के तहत पंजीयक के अधिकार जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त किये गये हैं का प्रयोग करते हुये उक्त संस्था का निगम निकाय (वॉडी कॉरपोरेट) को समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 05 अगस्त, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(457-G)

सीधी, दिनांक 05 अगस्त, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2015/718.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2013/687, दिनांक 11 जून, 2012 के द्वारा रविदास चर्मोद्योग सहकारी समिति मर्या., बिलारो, जिला सीधी, जिसका पंजीयन क्रमांक DR/SDH/1093, दिनांक 27 जनवरी, 2009 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन अन्तर्गत लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री बी. के. सोंधिया, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक की कार्यवाही के परीक्षण उपरान्त मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, आर. पी. पाल, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला सीधी मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) (2) के तहत पंजीयक के अधिकार जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त किये गये हैं का प्रयोग करते हुये उक्त संस्था का निगम निकाय (वॉडी कॉरपोरेट) को समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 05 अगस्त, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(457-H)

सीधी, दिनांक 05 अगस्त, 2015

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2015/719.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2013/1026, दिनांक 24 दिसम्बर, 2013 के द्वारा महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पड़रिया कला, जिला सीधी, जिसका पंजीयन क्रमांक DR/SDH/1306, दिनांक 04 दिसम्बर, 2010 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन अन्तर्गत लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री मदन सिंह उइके, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। परिसमापक की कार्यवाही के परीक्षण उपरान्त मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, आर. पी. पाल, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला सीधी मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) (2) के तहत पंजीयक के अधिकार जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त किये गये हैं का प्रयोग करते हुये उक्त संस्था का निगम निकाय (वाँडी कॉरपोरेट) को समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 05 अगस्त, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(457-1)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2015/669, दिनांक 04 जून, 2012 के द्वारा आदिवासी मछली पालन सहकारी समिति मर्या., करवाही, जिला सीधी, जिसका पंजीयन क्रमांक AR/SDH/702, दिनांक 31 मार्च, 1995 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन अन्तर्गत लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी। तदोपरान्त संशोधित आदेश क्रमांक/परिसमापन/2014/788, दिनांक 08 अगस्त, 2014 के द्वारा श्री सत्य प्रकाश पाण्डेवा, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया।

परिसमापक श्री पाण्डेवा द्वारा अपने पत्र दिनांक 22 जून, 2015 से संस्था के सदस्यों की आमसभा दिनांक 21 जून, 2015 जिसमें उपस्थित सदस्यों द्वारा संस्था को पुनर्जीवित करने सम्बन्धी प्रस्ताव पारित किया गया है, संलग्न कर संस्था को पुनर्जीवित करने की अनुशंसा की गई है।

प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत तथ्यों के अवलोकन उपरान्त मेरी राय में आदिवासी मछली पालन सहकारी समिति मर्या., करवाही, जिला सीधी का अस्तित्व में बने रहना उसके सदस्यों के हित में आवश्यक है।

अतः मैं, आर. पी. पाल, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला सीधी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के तहत पंजीयक के अधिकार जो मुझे म. प्र. शासन सहकारिता विभाग मंत्रालय, भोपाल के विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये आदिवासी मछली पालन सहकारी समिति मर्या., करवाही, जिला सीधी, जिसका पंजीयन क्रमांक AR/SDH/702, दिनांक 31 मार्च, 1995 है, को एतद्वारा परिसमापन से मुक्त करता हूँ तथा कार्य संचालन हेतु आगामी तीन माह के लिए संस्था के सदस्यों में से निम्नानुसार संचालक मण्डल नामांकित करता हूँ:-

1. श्री शेष नारायण सिंह	अध्यक्ष	2. श्रीमती सखुलिया बाई	उपाध्यक्ष
3. श्री छोटेलाल सिंह	उपाध्यक्ष	4. श्री अंशराखन सिंह	संचालक
5. श्री मोहन सिंह	संचालक	6. श्री भैयालाल सिंह	संचालक
7. श्री रामचरण सिंह	संचालक	8. श्री शिवभान सिंह	संचालक
9. श्री तिलक राज सिंह	संचालक	10. श्री छोटेलाल पनिका	संचालक
11. श्री राजाराम सिंह	संचालक.		

यह आदेश आज दिनांक 09 जुलाई, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(471)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2015/526.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2015/240, दिनांक 01 अप्रैल, 2015 के द्वारा अन्य संस्थाओं के साथ-साथ अनु. क्र. 145 में दर्शित आदिवासी मछुआ सहकारी समिति मर्या., खोहा, जिला सीधी, जिसका पंजीयन क्रमांक DR/SDH/1021,

दिनांक 18 अक्टूबर, 2005 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत परिसमापन अन्तर्गत लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री सत्य प्रकाश पाण्डेवा, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक श्री पाण्डेवा द्वारा अपने पत्र दिनांक 06 जुलाई, 2015 से संस्था के सदस्यों की आमसभा दिनांक 05 जुलाई, 2015 जिसमें उपस्थित सदस्यों द्वारा संस्था को पुनर्जीवित करने सम्बन्धी प्रस्ताव पारित किया गया है, संलग्न कर संस्था को पुनर्जीवित करने की अनुशंसा की गई है।

प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत तथ्यों के अवलोकन उपरान्त मेरी राय में आदिवासी मछुआ सहकारी समिति मर्या., खोहा, जिला सीधी का अस्तित्व में बने रहना उसके सदस्यों के हित में आवश्यक है।

अतः मैं, आर. पी. पाल, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटीज, जिला सीधी, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के तहत पंजीयक के अधिकार जो मुझे म. प्र. शासन सहकारिता विभाग मंत्रालय, भोपाल के विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त किये गये हैं, का प्रयोग करते हुये आदिवासी मछुआ सहकारी समिति मर्या., खोहा, जिला सीधी, जिसका पंजीयन क्रमांक DR/SDH/1021, दिनांक 18 अक्टूबर, 2005 है, को एतद्वारा परिसमापन से मुक्त करता हूँ तथा कार्य संचालन हेतु आगामी तीन माह के लिए संस्था के सदस्यों में से निम्नानुसार संचालक मण्डल नामांकित करता हूँ:-

1. श्री लाला कोल	अध्यक्ष	2. श्रीमती आशा देवी	उपाध्यक्ष
3. श्री कुआरे	उपाध्यक्ष	4. श्री जगन्नाथ कोल	संचालक
5. श्री रमेश कुमार	संचालक	6. श्री समय लाल	संचालक
7. श्री कल्लू	संचालक	8. श्रीमती शान्ती	संचालक
9. श्रीमती उर्मिला	संचालक	10. श्रीमती फुलउआ	संचालक
11. श्री बिरझू	संचालक.		

यह आदेश आज दिनांक 09 जुलाई, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(471-A)

आर. पी. पाल,
उप-रजिस्ट्रार.

कार्यालय सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, मण्डला

मण्डला, दिनांक 24 जुलाई, 2015

बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, धौरगांव, पंजी. क्रमांक 1013, दिनांक 01 मार्च, 2014 विकासखण्ड मण्डला को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/सपंम/परि./2014/2517, मण्डला, दिनांक 30 सितम्बर, 2014 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड मण्डला को परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा प्राप्त अंतिम प्रतिवेदन दिनांक 24 जुलाई, 2015 से प्रतीत होता है कि उक्त संस्था में कोई लेनदारियां/देनदारियां शेष नहीं हैं।

अतः मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला मण्डला मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ, उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 14 जुलाई, 2015 से निर्गमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा।

यह आदेश आज दिनांक 24 जुलाई, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(444-C)

मण्डला, दिनांक 24 जुलाई, 2015

बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, पटपरा रैयत, पंजी. क्रमांक 1019, दिनांक 01 मार्च, 2014 विकासखण्ड मण्डला को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/सपंम/परि./2014/2523, मण्डला, दिनांक 30 सितम्बर, 2014 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड मण्डला को परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा प्राप्त अंतिम प्रतिवेदन दिनांक 24 जुलाई, 2015 से प्रतीत होता है कि उक्त संस्था में कोई लेनदारियां/देनदारियां शेष नहीं हैं।

अतः मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला मण्डला मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 14 जुलाई, 2015 से निर्गमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 24 जुलाई, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(444-D)

मण्डला, दिनांक 29 मई, 2015

गणेश बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, मण्डला, पंजी. क्रमांक 1369, दिनांक 1 मार्च, 2014 विकासखण्ड मण्डला को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/सपम/परि./2014/2555, मण्डला, दिनांक 30 सितम्बर, 2014 द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर सहकारिता विस्तार अधिकारी विकासखण्ड मण्डला को परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा प्राप्त अंतिम प्रतिवेदन दिनांक 10 मई, 2015 से प्रतीत होता है कि उक्त संस्था में कोई लेनदारियां/देनदारियां शेष नहीं हैं.

अतः मैं, के. सी. अग्रवाल, सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला मण्डला मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 29 मई, 2015 से निर्गमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 29 मई, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

के. सी. अग्रवाल,
सहायक रजिस्ट्रार.

(444-E)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सतपाड़ाकलां, जिला विदिशा ने अपने पत्र दिनांक निल में उल्लेख किया है कि संस्था आर्थिक कारणों से अभी निर्वाचन नहीं करा सकती है.

श्री कटारे के पत्र से निष्कर्ष निकलता है कि निर्वाचन नहीं कराने से सहकारी संस्था में मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) (सी/ग) में वर्णित स्थिति निर्मित हो गई है. इस कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है. मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत उपरोक्त संस्था को कार्यालयीन "कारण बताओ सूचना-पत्र" क्रमांक/परिसमापन/2015/386, विदिशा, दिनांक 01 मई, 2015 जारी किया गया था कि क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाकर समापक नियुक्त किया जाये. संस्था द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-एक-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-(3) की शक्ति का प्रयोग करते हुये मैं, भूपेन्द्र प्रताप सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला विदिशा, दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सतपाड़ाकलां, तहसील त्योंदा, जिला विदिशा पंजीयन क्रमांक/डी.आर./व्ही. डी. एस./855, दिनांक 08 मार्च, 2013 को परिसमापन किये जाने का आदेश देता हूँ तथा सहकारिता विस्तार अधिकारी बासौदा को धारा-70 (1) के अन्तर्गत समापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 07 अगस्त, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

भूपेन्द्र प्रताप सिंह,
उप-पंजीयक.

(472)



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 36]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 4 सितम्बर 2015-भाद्र 13, शके 1937

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल एवं पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 06 मई, 2015

1. मौसम एवं वर्षा.—राज्य में इस सप्ताह मौसम शुष्क रहा है तथा राज्य के बैतूल, छिन्दवाड़ा, डिण्डोरी, जिले को छोड़कर किसी भी जिले में वर्षा का होना नहीं पाया गया है.—

(अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक.—तहसील मुलताई (बैतूल), अमरवाड़ा, मोहखेड़ा (छिन्दवाड़ा) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक.—तहसील बजाग (डिण्डोरी) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

2. जुताई.—जिला ग्वालियर, शहडोल, मंदसौर, झाबुआ व सिवनी में खरीफ फसलों की जुताई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

3. बोनी.—जिला दमोह में जायद फसलों की बोनी का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

4. फसल स्थिति.—

5. कटाई.—जिला बैतूल में खरीफ फसलों की कटाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

6. सिंचाई.—जिला ग्वालियर, टीकमगढ़, सागर, शहडोल, उमरिया, नीमच, शाजापुर, बड़वानी, विदिशा व नरसिंहपुर में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

7. पशुओं की स्थिति.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है.

8. चारा.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

9. बीज.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

10. खेतिहर श्रमिक.—राज्य के प्रायः सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 06 मई, 2015

जिला/तहसीलें	1.सप्ताह में हुई वर्षा:- (अ) वर्षा का माप (मि.मी.) में (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव:- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर, रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल - (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक). 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
1	2	3	4	5	6
जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. अम्बाह	..				
2. पोरसा	..				
3. मुरैना	..				
4. जौरा	..				
5. सबलगढ़	..				
6. कैलारस	..				
जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, जौ, चना, सरसों, तुअर, धनिया समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. श्योपुर	..				
2. कराहल	..				
3. विजयपुर	..				
जिला भिण्ड :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. अटेर	..				
2. भिण्ड	..				
3. गोहद	..				
4. मेहगांव	..				
5. लहार	..				
6. मिहोना	..				
7. रौन	..				
जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गन्ना, मूँगमोठ, तुअर, मूँगफली अधिक. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. ग्वालियर	..				
2. डबरा	..				
3. भितरवार	..				
4. घाटीगांव	..				
जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, जौ, चना, सरसों समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सेवड़ा	..				
2. दतिया	..				
3. भाण्डेर	..				
जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. शिवपुरी	..				
2. पिछोर	..				
3. खनियाधाना	..				
4. नरवर	..				
5. करैरा	..				
6. कोलारस	..				
7. पोहरी	..				
8. बदरवास	..				

1	2	3	4	5	6
जिला अशोकनगर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
1. मुँगावली	..		4. (1) उड़द, चना अधिक. सोयाबीन, गन्ना, गेहूँ कम. मक्का अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ईसागढ़	..		(2) ..		
3. अशोकनगर	..				
4. चन्देरी	..				
5. शाढौरा	..				
*जिला गुना :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. गुना	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. राघोगढ़	..		(2) ..		
3. बमोरी	..				
4. आरोन	..				
5. चाचौड़ा	..				
6. कुम्भराज	..				
जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	..		(2) ..		
3. जतारा	..				
4. टीकमगढ़	..				
5. बल्देवगढ़	..				
6. पलेरा	..				
7. ओरछा	..				
जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. ..	7. पर्याप्त.
1. लवकुशनगर	..		4. (1) तुअर जौ अधिक. गेहूँ, चना कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	..		(2) ..		
3. नौगांव	..				
4. छतरपुर	..				
5. राजनगर	..				
6. बिजावर	..				
7. बड़ामलहरा	..				
8. बकस्वाहा	..				
जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
1. अजयगढ़	..		4. (1) मुँगा, जौ, राई-सरसों, अलसी, प्याज अधिक. धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, तुअर, उड़द, सोयाबीन, तिल, गेहूँ, चना, मसूर, आलू कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पन्ना	..		(2) ..		
3. गुन्नौर	..				
4. पवई	..				
5. शाहनगर	..				
जिला सागर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बीना	..		4. (1) गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, तिवड़ा, राई-सरसों, अलसी, आलू, प्याज समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खुरई	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. बण्डा	..				
4. सागर	..				
5. रेहली	..				
6. देवरी	..				
7. गढ़ाकोटा	..				
8. राहतगढ़	..				
9. केसली	..				
10. मालथोन	..				
11. शाहगढ़	..				

1	2	3	4	5	6
जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. जायद फसलों की बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गन्ना, मूंग, उड़द. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. हटा	..				
2. बटियागढ़	..				
3. दमोह	..				
4. पथरिया	..				
5. जवेरा	..				
6. तेन्दूखेड़ा	..				
7. पटेरा	..				
जिला सतना :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) तुअर, गेहूँ, चना, मसूर, सरसों कम. अलसी समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. ... 8. पर्याप्त.
1. रघुराजनगर	..				
2. मझगवां	..				
3. रामपुर-बधेलान	..				
4. नागौद	..				
5. उचेहरा	..				
6. अमरपाटन	..				
7. रामनगर	..				
8. मैहर	..				
9. बिरसिंहपुर	..				
जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ, चना, जौ, राई-सरसों अधिक. मसूर, अलसी, अरहर समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. त्योंथर	..				
2. सिरमौर	..				
3. मऊगंज	..				
4. हनुमना	..				
5. हजूर	..				
6. गुढ़	..				
7. रायपुरकचुलियान	..				
जिला शहडोल :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) धान, गेहूँ, चना, कोदों-कुटकी, मक्का, सरसों, तुअर, राई-सरसों, मसूर, मटर समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद. ..	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सोहागपुर	..				
2. ब्यौहारी	..				
3. जैसिंहनगर	..				
4. जैतपुर	..				
जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जैतहरी	..				
2. अनूपपुर	..				
3. कोतमा	..				
4. पुष्पराजगढ़	..				
जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ, चना, मटर, मसूर, राई-सरसों, अलसी, जौ अधिक. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़	..				
2. पाली	..				
3. मानपुर	..				

1	2	3	4	5	6
जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ...	7. ..
1. गोपदवनास	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. ..
2. सिंहावल	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. मझौली	..				
4. कुसमी	..				
5. चुरहट	..				
6. रामपुरनैकिन	..				
जिला सिंगरौली :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. ...	7. ..
1. चितरंगी	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. देवसर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. सिंगरौली	..				
जिला मन्दासौर :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. ..	5. ...	7. ..
1. सुवासरा-टप्पा	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. भानपुरा	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. मल्हारगढ़	..				
4. गरोठ	..				
5. मन्दासौर	..				
6. श्यामगढ़	..				
7. सीतामऊ	..				
8. धुन्धड़का	..				
9. संजीत	..				
10. कयामपुर	..				
जिला नीमच :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावद	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. नीमच	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. मनासा	..				
जिला रतलाम :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावरा	..		4. (1) गेहूँ, चना, कपास समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. आलोट	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. सैलाना	..				
4. बाजना	..				
5. पिपलौदा	..				
6. रतलाम	..				
जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. ...	7. पर्याप्त.
1. खाचरौद	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. महिदपुर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. तराना	..				
4. घटिया	..				
5. उज्जैन	..				
6. बड़नगर	..				
7. नागदा	..				
जिला आगर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ...	7. ..
1. बड़ौद	..		4. (1) गेहूँ, चना कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सुसनेर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. नलखेड़ा	..				
4. आगर	..				
जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. ...
1. मो. बड़ौदिया	..		4. (1) चना, राई-सरसों बिगड़ी हुई.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. शाजापुर	..		गेहूँ समान.	चारा पर्याप्त.	
3. शुजालपुर	..		(2) ..		
4. कालापीपल	..				
5. गुलाना	..				

1	2	3	4	5	6
जिला देवास :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. टोंकखुर्द	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. देवास	..				
4. बागली	..				
5. कन्नौद	..				
6. खातेगांव	..				
जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. ..	7. ..
1. थांदला	..		4. (1) मूंग अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. ..
2. मेघनगर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. पेटलावद	..				
4. झाबुआ	..				
5. राणापुर	..				
जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. जोवट	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. अलीराजपुर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. कट्टीवाड़ा	..				
4. सोण्डवा	..				
5. भामरा	..				
जिला धार :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. ..
1. बदनावर	..		4. (1) गन्ना अधिक. गेहूँ चना कम.	6. संतोषप्रद.	8. पर्याप्त.
2. सरदारपुर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. धार	..				
4. कुशी	..				
5. मनावर	..				
6. धरमपुरी	..				
7. गंधवानी	..				
8. डही	..				
जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. देपालपुर	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सांवेर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. इन्दौर	..				
4. महू	..				
(डॉ. अम्बेडकरनगर)					
*जिला खरगौन :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. बड़वाह	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. महेश्वर	..		(2) ..		
3. सेगांव	..				
4. खरगौन	..				
5. गोगावां	..				
6. कसरावद	..				
7. भगवानपुरा	..				
8. भीकनगांव	..				
9. झिरन्या	..				

1	2	3	4	5	6
जिला बड़वानी :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वानी	..		4. (1) गन्ना अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. ..
2. ठीकरी	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. राजकोट	..				
4. सेंधवा	..				
5. पानसेमल	..				
6. पाटी	..				
7. निवाली	..				
*जिला खण्डवा :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. खण्डवा	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. पंधाना	..		(2) ..		
3. हरसूद	..				
जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खकनार	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. नेपानगर	..				
जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जीरापुर	..		4. (1) गेहूँ, चना, जौ, सरसों, मसूर अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिलचीपुर	..		गन्ना समान.	चारा पर्याप्त.	
3. राजगढ़	..		(2) ..		
4. ब्यावरा	..				
5. सारंगपुर	..				
6. पचोर	..				
7. नरसिंहगढ़	..				
जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. ..
1. लटेरी	..		4. (1) गेहूँ, चना, मसूर समान.	6. संतोषप्रद.	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.	..	
3. कुरवाई	..				
4. बासौदा	..				
5. नटेरन	..				
6. विदिशा	..				
7. गुलाबगंज	..				
8. ग्यारसपुर	..				
जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	..		4. (1) गेहूँ, चना, मसूर, तुअर, गन्ना समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. हुजूर	..		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. सीहोर	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद.	8. पर्याप्त.
2. आष्टा	..		(2)	
3. इछावर	..				
4. नसरुल्लागंज	..				
5. बुधनी	..				

1	2	3	4	5	6
जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. ..
1. रायसेन	..		4. (1) गेहूँ, जौ, राई-सरसों, अलसी, मटर अधिक. चना, मसूर लाख, तिवड़ा कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. गैरतगंज	..		(2) ..		
3. बेगमगंज	..				
4. गौहरगंज	..				
5. बरेली	..				
6. सिलवानी	..				
7. बाड़ी	..				
8. उदयपुरा	..				
जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. भैंसदेही	..		4. (1) गेहूँ, मसूर, चना अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. घोड़ाडोंगरी	..		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.		
3. शाहपुर	..				
4. चिचोली	..				
5. बैतूल	..				
6. मुलताई	5.0				
7. आठनेर	..				
8. आमला	..				
जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	..		4. (1) चना, मटर अधिक. मसूर मूंग कम. गेहूँ समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. होशंगाबाद	..		(2) ..		
3. बावई	..				
4. इटारसी	..				
5. सोहागपुर	..				
6. पिपरिया	..				
7. वनखेड़ी	..				
8. पचमढ़ी	..				
*जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. हरदा	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. खिड़किया	..		(2) ..		
3. टिमरनी	..				
जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सीहोरा	..		4. (1) मूंग अधिक. उड़द कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पाटन	..		(2) ..		
3. जबलपुर	..				
4. मझौली	..				
5. कुण्डमपुर	..				
*जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. कटनी	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. रीठी	..		(2) ..		
3. विजयराघवगढ़	..				
4. बहोरीबंद	..				
5. ढीमरखेड़ा	..				
6. बरही	..				

1	2	3	4	5	6
जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) तुअर, धान, मक्का, उड़द, गन्ना, गेहूँ, मसूर, मटर अधिक. सोयाबीन, चना कम. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. गाडरवारा	..				
2. करेली	..				
3. नरसिंहपुर	..				
4. गोटेगांव	..				
5. तेन्दूखेड़ा	..				
जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों, मसूर, मटर, लाख, अलसी सुधरी हुई. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. निवास	..				
2. बिछिया	..				
3. नैनपुर	..				
4. मण्डला	..				
5. घुघरी	..				
6. नारायणगंज	..				
जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) तुअर, गेहूँ, चना, मसूर मटर, बिगड़ी हुई राई-सरसों, अलसी समान. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. डिण्डोरी	..				
2. बजाग	19.0				
3. शाहपुरा	..				
जिला छिन्दवाड़ा :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ, चना, तुअर समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. छिन्दवाड़ा	..				
2. जुन्नारदेव	..				
3. परासिया	..				
4. जामई (तामिया)	..				
5. सोंसर	..				
6. पांडुर्णा	..				
7. अमरवाड़ा	3.2				
8. चौरई	..				
9. बिछुआ	..				
10. हरई	..				
11. मोहखेड़ा	3.2				
जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) धान, मक्का, तुअर, उड़द, मूंग, गन्ना अधिक. ज्वार, कोदो-कुटकी, सोयाबीन, गेहूँ, मटर, मसूर, लाख, तिवड़ा, अलसी, राई-सरसों कम. तिल, सन समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सिवनी	..				
2. केवलारी	..				
3. लखनादौन	..				
4. बरघाट	..				
5. उरई	..				
6. घंसौर	..				
7. घनोरा	..				
8. छपारा	..				
जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बालाघाट	..				
2. लाँजी	..				
3. बैहर	..				
4. वारासिवनी	..				
5. कटंगी	..				
6. किरनापुर	..				

टीप.— *जिला गुना, खरगौन, खण्डवा, हरदा, कटनी से पत्रक अप्राप्त रहे हैं.

राजीव रंजन,

आयुक्त,

भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(486)